



## षोडश बिहार विधान सभा

### चतुर्थ सत्र

### ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-28.11.2016 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

| क्र० सं० | सदस्य का नाम | विषय | विभाग |
|----------|--------------|------|-------|
| 1        | 2            | 3    | 4     |

1. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह,  
स०वि०स०  
श्री प्रमोद कुमार,  
स०वि०स०  
श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव,  
स०वि०स०  
श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह,  
स०वि०स०  
श्री लाल बाबू प्र० गुप्ता,  
स०वि०स०  
श्री रणा रणधीर,  
स०वि०स०  
श्री रामचन्द्र सहनी,  
स०वि०स०

"गाँधी सेतु, उत्तर बिहार के लिए लाईफ-लाईन का काम करती है। इस पुल के क्षतिग्रस्त होने से लाखों लोगों को प्रतिदिन भयंकर जाम का सामना करना पड़ता है जिससे समय की बर्बादी होती है तथा कई आवश्यक काम छूट जाते हैं। पुल में पटना से निकलने के तरफ का बाँया लेन लगभग 15 सौ फीट में टूट गया है जिसका निर्माण कार्य बन्द है। सिर्फ एक लेन चालू रहने से भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पुल का शीघ्र निर्माण अत्यावश्यक है।

पथ निर्माण

अतः पुल के क्षतिग्रस्त हिस्सा का शीघ्र निर्माण कराकर जनता की कठिनाई को दूर करने के लिए हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं।"

| क्र०<br>सं० | सदस्य का नाम | विषय | विभाग |
|-------------|--------------|------|-------|
| 1           | 2            | 3    | 4     |

2. श्री यदुवंश कुमार यादव,  
स०वि०स०

“बिहार राज्य में भारी वाहन चालकों के अनुज्ञप्ति पर रोक लगे रहने के कारण दूसरे राज्यों से अनुज्ञप्ति प्राप्त करने में उन्हें भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

योग्य चालक अनुज्ञप्ति के अभाव में रोजगार पाने से वंचित है तथा सरकार को अनुज्ञप्ति शुल्क के रूप में अनुमान्य राजस्व की भी क्षति हो रही है।

अतः भारी वाहन चालकों के अनुज्ञप्ति पर लगे रोक को शीघ्र हटाने हेतु मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।”

परिवहन


राम श्रेष्ठ राय

सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-29/16-3462-3472 / वि०स०, पटना, दिनांक-25 नवम्बर, 2016 ई०।

प्रति:- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / उप मुख्यमंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / पथ निर्माण विभाग तथा परिवहन विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 25/11/16


(भूषण कुमार झा)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-29/16-3462-3472 / वि०स०, पटना, दिनांक-25 नवम्बर, 2016 ई०।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।

 25/11/16

(भूषण कुमार झा)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

 25/11/16